25/7/25 पत्रावली पेश हु । [illegible] पीठासीन आज्ञा से अधिकारी महोदय चुनाव/अन्य [illegible] कार्य भ्रमण/अवकाश में पधारने से पत्रावली दिनांक 3/9/25 को पेश हो। रीडर सहायक कलेक्टर मनोहरथाना

3/9/25 पत्रावली पेश हु । [illegible] पीठासीन आज्ञा से अधिकारी महोदय चुनाव [illegible] कार्य [illegible] अवकाश में पधारने से पत्रावली दिनांक 07/10/25 को पेश हो। रीडर सहायक कलेक्टर मनोहरथाना

7/10/25 पत्रावली पेश। अभिभावक प्रार्थी एवं सरकार पैरोकार उपस्थित। जवाब पेश करने हेतु समय चाहा गया। न्यायहित में समय दिया जाकर पत्रावली वास्ते ~~दिनांक~~ जवाब एवं बहस दिनांक 16/10/2025 को पेश हो।

16.10.2025 पत्रावली पेश। अभिभावक प्रार्थी उप० पत्रावली वास्ते आदेश/अग्रिम दिनांक 4/11/2025 को पेश हो। पुनः श्रव सरकार पैरोकार उप०। जवाब पेश किया गया तथा आवेदन पर No objection का अंकन किया गया। पत्रावली वास्ते बहस एवं आदेश दिनांक 4-11-2025 को पेश हो।

4-11-25 पत्रावली पेश। अभिभावक प्रार्थी उप०। बहस ~~सुनी~~ सुनी गई। अभिभावक प्रार्थी द्वारा साक्ष्य पेश करने हेतु एक अवसर चाहा गया। न्यायहित में एक अवसर दिया जाता है। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 6.11.25 को पेश हो।

6.11.25 पत्रावली पेश। उभयपक्ष उपस्थित। बहस उभयपक्ष सुनी गई। अभिभावक प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य पेश नहीं किया गया है जिससे सिद्ध होता हो की करमा व करमालिंह एक ही व्यक्ति है। अतः प्रा०पत्र प्रार्थी साक्ष्य के अभाव में खारिज निर्णित किया जाता है। विस्तृत आदेश पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली दर्ज शुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम कर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर
मनोहरथाना, जिला झालावाड़ (राज.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर मनोहरथाना जिला झालावाड़

पीठासीन अधिकारीः– पुष्कर कुमार मित्तल (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 104/24

दायर दिनाँक :– 05.07.2024

निर्णय दिनाँकः– 06.11.2025

उनवान :– करणसिंह

बनाम

राजस्थान सरकार

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :– 1 श्री घनश्याम मीणा नायब तहसीलदार सरकार पैरोकार
2 श्रीमती ममता लोधा, अधिवक्ता प्रार्थी

–: निर्णय :–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है, प्रार्थी करणसिंह पिता जस्सा जाति बंजारा निवासी टांडा मजरा कुण्डीबेह तहसील मनोहरथाना ने जरिए अधिवक्ता न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है कि ग्राम कुण्डीबेह तह0 मनोहरथाना की खाता संख्या नया 87 (पुराना 75) की कुल किता 09 की 5.0990 हेक्टेयर भूमि प्रार्थी एवं अन्य सहखातेदारान के शामिल खाते दर्ज रिकार्ड है।

वाद में उल्लेख किया गया है कि उक्त भूमि के राजस्व अभिलेखों में प्रार्थी का नाम "करमा पिता जस्सा" दर्ज है, जो लिपिकीय त्रुटि और गलत है। वास्तव में प्रार्थी का नाम "करणसिंह पिता जस्सा" है, जैसा कि आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड एवं बैंक पासबुक आदि सरकारी दस्तावेजों में प्रमाणित है।

आगे वाद में कहा गया है कि प्रार्थी के नाम की इस त्रुटि के कारण प्रार्थी को सरकारी सुविधाएं प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है एवं उन्हें मानसिक कष्ट भी हो रहा है। वादीगण ने तहसीलदार मनोहरथाना को नाम संशोधन हेतु प्रार्थना पत्र दिया था, किन्तु कोई उचित कार्यवाही नहीं हुई।

अतः प्रार्थी ने न्यायालय से अनुरोध किया है कि ग्राम कुण्डीबेह के उक्त आराजी में प्रार्थी का नाम "करमा पिता जस्सा" के स्थान पर "करणसिंह पिता जस्सा" संशोधित किया जाए और राजस्व अभिलेखों में इसका संशोधन प्रभावी

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर
मनोहरथाना, जिला झालावाड़ (राज.)

रूप से अमल में लाया जाए। साथ ही न्यायालय से प्रार्थीगण को आवश्यक व्यय, वाद के खर्च और अन्य न्यायोचित सहायता प्रदान करने की भी प्रार्थना की गई है। प्रार्थी ने इस वादपत्र के साथ शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया है।

इस वाद को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर मनोहरथाना में प्रस्तुत किया गया था। जिसे दर्ज रजिस्टर किया जाकर अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी गई।

हमने प्रार्थना–पत्र एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य का गौरपूर्वक अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया। बाद अवलोकन एवं मनन यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज साक्ष्य के रूप में पेश नही किया गया है, जिससे सिद्ध होता हो कि करणसिंह पिता जस्सा ही करमा पिता जस्सा है, जिसका कि नाम जमाबंदी में दर्ज है, तथा करणसिंह पिता जस्सा को गलत तरीके से जमाबंदी में करमा पिता जस्सा दर्ज कर दिया गया है।

अतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थी साक्ष्य के अभाव में खारिज़ निर्णित किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया तथा न्यायालय की मोहर एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, मनोहरथाना जिला झालावाड़ (राज.)

(पुष्कर कुमार मित्तल)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर,मनोहरथाना